[2020] 3 उम. नि. प. 196

**के. शिवरमन और अन्य**

बनाम

**पी. सतीश कुमार और एक अन्य**

[2019 की सिविल अपील सं. 9046]

13 फरवरी, 2020

**न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी**

**संविधान, 1950 – अनुच्छेद 136 [सपठित कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 4क, 4(1क), 4(1ख) और 19] – विशेष इजाजत अपील – दुर्घटना में कारित क्षति के लिए प्रतिकर की मांग करना – मामला लंबित रहने के दौरान तत्समय प्रवृत्त प्रतिकर विधि में संशोधन होना – संशोधन में प्रदत्त लाभ की मांग करना – मांग मंजूर होना – यदि किसी दुर्घटना में कारित क्षतियों के लिए प्रतिकर की मांग की जाती है तो प्रतिकर की मांग मंजूर करते समय, प्रतिकर की संगणना तत्समय प्रवृत्त प्रतिकर विधि के अधीन की जाती है किन्तु यदि मामला लंबित रहने के दौरान तत्समय प्रवृत्त प्रतिकर विधि में संशोधन करके कोई लाभ प्रदत्त कर दिया जाता है तो लंबित मामले में, उस लाभ को वादी को प्रदत्त किया जा सकता है यदि विधान-मंडल का आशय ऐसे संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देना होता है ।**

वर्तमान मामले में, एक नोटिस तारीख 26 जुलाई, 2009 को जारी किया गया था, चूंकि अपीलार्थियों का वैयक्तिक तौर पर प्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, इस न्यायालय ने तारीख 26 जुलाई, 2019 के अपने आदेश द्वारा यह निर्देश दिया था कि उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा एक न्याय-मित्र नामनिर्देशित किया जाए । तद्नुसार, श्री एम. महेन्द्रन्, विद्वान् काउंसेल को न्याय-मित्र के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया, जिन्हें हमने अपील के समर्थन में सुना । अपीलार्थी, दिनेश कुमार के पिता, माता, बहन और भाई थे, जिनकी मृत्यु तारीख 31 जनवरी, 2008 की दुर्घटना के दौरान हो गई

थी । दुर्घटना की तारीख पर मृतक की आयु 26 वर्ष थी और ट्रेलर लॉरी के ड्राइवर के रूप में नियोजित था । जब वह एन. एच. 12, कोटा, राजस्थान में यान चला रहा था तो विपरीत दिशा से एक ट्रक रजिस्ट्रेशन सं. एम एच 19 जेड 1696 आ रहा था और ट्रेलर लॉरी से टक्कर हो गई जिसके परिणामस्वरूप दिनेश कुमार की मृत्यु हो गई । दुर्घटना के समय पर, मृतक, प्रथम प्रत्यर्थी के नियोजन में था । अधिनियम, 1923 के अधीन एक दावा तारीख 29 अप्रैल, 2013 को कर्मकार प्रतिकर उपायुक्त, मदुरै के समक्ष दर्ज किया गया था । तारीख 26 मार्च, 2014 को दावा रु. 4,33,060/- की रकम में अधिनिर्णीत करते हुए मंजूर कर लिया था । उपायुक्त ने एकपक्षीय कार्यवाही की थी । अपीलार्थियों ने प्रतिकर बढ़ाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की थी । उच्च न्यायालय ने तारीख 23 नवम्बर, 2015 के अपने आदेश द्वारा नए सिरे से अवधारण करने के लिए मामले को उपायुक्त के पास वापस भेज दिया । कार्यवाहियों के वापस आने पर, उच्च न्यायालय ने यह उल्लिखित किया कि यद्यपि, अपीलार्थियों ने प्रदर्श पी-5 के रूप में वेतन प्रमाणपत्र फाइल किया था यह सिद्ध करने के लिए मृतक की प्रतिमाह आय रु. 32,000/- थी किन्तु वेतन प्रमाणपत्र को साबित करने के लिए नियोजक की ओर से किसी साक्षी की परीक्षा नहीं की गई थी । तथापि, अपीलार्थियों से यह निवेदन किया गया था कि उन्हें प्रदर्श पी-5 के समर्थन में नियोजक के साक्षी की परीक्षा करने का अवसर देना चाहिए । उच्च न्यायालय ने कार्यवाहियों के वापस होने पर न्याय हित में इस पर विचार किया था । वापस होने पर, कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, मदुरै ने तारीख 4 मार्च, 2016 के एक आदेश द्वारा रु. 4,33,060/- की रकम में प्रतिकर के अधिनिर्णय को कायम रखा । तथापि, आयुक्त ने इस आधार पर कार्यवाही की कि अधिनियम, 1923 की धारा 4(1ख) के अधीन जारी अधिसूचना के निबंधनों में, एक व्यक्ति द्वारा प्रतिमाह वेतन जो भी प्राप्त किया गया है, न्यायनिर्णयन करने वाली प्राधिकारी की अधिकारिता, कर्मकार की प्रतिमाह मजदूरियों की संगणना करने में रु. 4,000/- प्रतिमाह से सिलिंग के अध्यधीन थी । रु. 4,000/- की प्रतिमाह वेतन लेते हुए, आयुक्त ने अनुसूची IV के निबंधनों में 215.28 के गुणक (मृतक की आयु 26 वर्ष होने के नाते) को लागू किया और रु. 4,30,560/- का

अंक प्राप्त किया जिसमें रु. 2,500/- की अतिरिक्त रकम अंतयेष्टि खर्चों को भी जोड़ा गया था । संपूर्ण रकम रु. 4,33,060/- अधिनिर्णीत करते हुए, अपीलार्थियों को देय प्रतिकर के रूप में डिक्री की गई थी । उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल अपील में, खंड न्यायपीठ ने इस तथ्य को नोट किया कि प्रतिप्रेषण आदेश के अनुसरण में, मृतक कर्मकार का वेतन रु. 32,000/- प्रतिमाह साबित किया गया था । उच्च न्यायालय ने यह उल्लिखित किया कि यद्यपि, दुर्घटना तारीख 31 जनवरी, 2008 को घटित हुई थी किन्तु, प्रतिकर के लिए याचिका तारीख 28 जनवरी, 2011 को फाइल की गई थी और तारीख 4 मार्च, 2016 को आयुक्त द्वारा विनिश्चित की गई थी । इसी बीच में, केन्द्रीय सरकार द्वारा तारीख 31 मई, 2010 को निम्नलिखित निबंधनों में एक अधिसूचना जारी की गई थी :– एस.ओ. 1258(ई)-कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का घ) की धारा 4 की उपधारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तद्द्वारा, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, मासिक मजदूरी के रूप में निम्नलिखित रकम अर्थात् आठ हजार रुपए, शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तत्काल प्रभाव से विनिर्दिष्ट करती है ।" उच्च न्यायालय का यह मत था कि इस तथ्य का सम्मान करते हुए कि प्रश्नगत विधान, एक सामाजिक कल्याण विधान है, जिसमें संगणना के आधार के प्ररूप में रु. 8,000/- प्रतिमाह की आय को बढ़ाया गया है । इस प्रकार, अनुसूची IV के निबंधनों में गुणक लागू करते हुए, उच्च न्यायालय ने प्रतिकर की रकम रु. 8,86,120/- तक बढ़ा दिया था । इससे व्यथित होकर, इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई । न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि 2009 के अधिनियम 45 का फायदा जो स्पष्टीकरण II में समझे गए उपबंध को निरस्त कर दिया था जो कर्मकार की मासिक मजदूरी रु. 4,000/- पर आवरण डालता था, उन दुर्घटनाओं जो इन उपबंधों को प्रवर्तन में आने अर्थात् तारीख 8 जनवरी, 2010 के पूर्व घटित हुई हैं, में लागू होगा और जिनमें अंतिम न्यायनिर्णयन लंबित है । यह निर्धारित करने में कि क्या

2009 का अधिनियम 45 भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा, इस न्यायालय के सुसंगत पूर्ववर्ती न्याय-निर्णयों का विश्लेषण आवश्यक है । धारा 4(क)(1) के निबंधनों में, धारा 4 के अधीन प्रतिकर, शोध्य होते ही देय हो जाता है । धारा 4(क)(2) में ऐसी स्थिति अनुध्यात है जिसमें नियोजक, यद्यपि, क्षतिग्रस्त कर्मकार को प्रतिकर संदाय करने के दायित्व को स्वीकार करता है, फिर भी वह देय प्रतिकर की मात्रा को विवादित करता है । ऐसे मामलों में, उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि नियोजक स्वीकृत दायित्व की सीमा पर आधारित अनंतिम संदाय आयुक्त के पास इसे जमा करके कर सकता है या इसे प्रत्यक्ष तौर पर कर्मकार को संदाय कर सकता है । धारा 4(क)(3) यह अनुध्यात करता है कि जहां कोई नियोजक शोध्य प्रतिकर को उसके शोध्य हो जाने की तारीख से एक माह के भीतर देने में व्यतिक्रम करता है वहां आयुक्त, संदाय करने में अन्यायोचित विलंब के लिए बकाया के रूप में अतिरिक्त रकम के साथ ब्याज का संदाय करने का निदेश देने लिए सशक्त है । धारा 19 में यह अनुध्यात है कि अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में करार के व्यमिक्रम के बारे उठने वाले प्रश्न का निपटारा आयुक्त द्वारा किया जाएगा । इस न्यायालय के चार न्यायाधीशों के न्यायपीठ ने अपीलार्थी के तर्क को नामंजूर कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिकर दुर्घटना की तारीख पर 'देय' हो जाता है । परिणामत:, आयुक्त दावा निपटारा करने या जहां प्रतिकर संदाय करने में अन्यायोचित विलंब हुआ था, के पूर्व की अवधि के लिए ब्याज या शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त था । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि, धारा 19, आयुक्त को अधिनियम के अधीन दावों या आक्षेपों को विनिश्चित करने के लिए सशक्त करता है, क्षतिग्रस्त कर्मकार को प्रतिकर संदाय करने की आबद्धता को तब तक निलंबित नहीं किया जा सकता था जब तक कि आयुक्त द्वारा नियोजक और कर्मकार के बीच विवादित मामले में देय रकम का निपटारा नहीं कर दिया जाता । धारा 4क उस बारे में विचार करती है जबकि अधिनियम, 1923 के अधीन यथा अपेक्षित प्रतिकर का संदाय करने की आबद्धता उद्भूत होती है । अधिनियम, 1923 की धारा 4क के प्रयोजन के लिए, प्रतिकर संदाय करने की आबद्धता दुर्घटना की तारीख पर उद्भूत

होती है । जहां कोई नियोजक देय प्रतिकर की मात्रा के बारे में विवाद उठाता है वहां वह आयुक्त को या कर्मकार को दावे का निपटारा लंबित रहने के दौरान अनंतिम संदाय कर सकता है । यह सुनिश्चित करने के अनुक्रम में कि नियोजक प्रतिकर संदाय करने की अपनी आबद्धता या तुच्छ आधारों पर असम्यक् तौर पर संदाय विलंब करने से नहीं बचे । न्यायालय ने यह उल्लिखित किया है कि अधिनियम, 1923 कर्मचारियों के फायदे के लिए एक सामाजिक कल्याण विधायन है । परिणामतः, अधिनियम, 1923 के स्कीम को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को ऐसा निर्वचन अंगीकार करना चाहिए जो दावे के अंतिम न्यायनिर्णयन की तारीख पर कर्मचारी के फायदों तक विस्तारित करती हूं । जहां मामला, अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है और एक संशोधन, देय प्रतिकर की रकम में वृद्धि करने के लिए अधिनियमित किया जाता है, वहां बढ़ा हुआ रकम, देय प्रतिकर की मात्रा के अवधारण में लागू होगा । अधिनियम, 1923 एक सामाजिक फायदाग्राही विधान है और इसके उपबंधों और उनमें संशोधनों का निर्वचन इस प्रकार करना चाहिए कि विधान का फायदा पाने से कर्मचारी वंचित न रह जाए । अधिनियम को अधिनियमित करने का उद्देश्य, उन आर्थिक तौर पर गरीब कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करना है जो जोखिम भरे कार्य करते हैं या जोखिम में डालने वाले व्यवसाय करते हैं उन्हें आर्थिक फायदा पहुंचाते हुए प्रतिकर प्रदान करने के लिए सस्ता और फुर्तीला मशीनरी उपलब्ध कराना है । अधिनियम, 1923 में संशोधन, प्रतिकर प्रक्रिया को प्रवाही बनाने या कर्मचारियों को देय प्रतिकर की रकम बढ़ाने के मुख्य प्रयोजन के लिए भी किया गया है । 2009 की अधिनियम 45 के पूर्व, धारा 4 के स्पष्टीकरण II में समझे गए उपबंध को ध्यान में रखते हुए, एक कर्मचारी की मासिक मजदूरियां रु. 4,000/- नियत की गई थी, जहां कर्मचारी रु. 4,000/- से अधिक मासिक मजदूरी के संदाय को साबित करने में समर्थ था । विधान-मंडल ने अपने विवेक से और सामाजिक कल्याण विधान के रूप में अधिनियम, 1923 के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, समझे गए उपबंध में प्रतिकर की मात्रा में बढ़ोतरी नहीं की, अपितु इसे पूर्णतया हटा दिया । मुख्य प्रयोजन के अग्रसर में संशोधन, जो उन दुर्घटनाओं जो नियोजन के दौरान घटित हुई हैं और नियोजन से

उद्भूत हुई हैं, सभी कर्मचारियों को प्रतिकर उपबंध कराने के अधिनियम, 1923 का आधार है । संशोधन का उद्देश्य, एक कर्मचारी के मासिक आय पर समझी हुई नियत आय को निरस्त करना है और इसे उनके द्वारा आहरित वास्तविक मासिक मजदूरियों के आधार पर उनके प्रतिकर को बढ़ाना है । तथापि, यह उपदर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि विधान-मंडल का आशय उन दुर्घटनाओं तक फायदा पहुंचाने के लिए था जो संशोधन के प्रवर्तन में आने के पूर्व घटित हुए हैं । इस न्यायालय ने इस न्यायालय की सुस्थिर पूर्व-निर्णय के अनुसरण में यह अभिनिर्धारित किया कि जहां (i) एक विधान कुछ व्यक्तियों को फायदा प्रदत्त करता है, (ii) कुछ अन्य व्यक्तियों या साधारण जनता पर तत्समानी प्रभावी डाले बिना और (iii) जहां ऐसे फायदों का प्रदत्त किया जाना विधान-मंडल का आशय प्रतीत होता है, वहां भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने की उपधारणा की जा सकती है । यद्यपि, अधिनियम, 1923 के अधीन देय प्रतिकर बढ़ाने वाले संशोधन, कर्मचारियों को फायदा प्रदत्त करते हैं, जो नियोजकों को उच्चतर दर पर प्रतिकर संदाय करने का तत्समानी भार अधिरोपित करते हैं । वर्तमान मामले में, दुर्घटना, तारीख 31 जनवरी, 2008 अर्थात् 2009 के अधिनियम 45 के प्रवर्तन में आने के पूर्व घटित हुई थी । परिणामतः, उच्च न्यायालय, 2009 के अधिनियम 45 का फायदा जिसे वर्तमान मामले में, धारा 4 का स्पष्टीकरण II रद्द करता है, विस्तारित करने में त्रुटि कारित की है । उच्च न्यायालय को दुर्घटना की उस तारीख पर देय प्रतिकर को अवधारित करने की अपेक्षा थी जिस तारीख को मासिक मजदूरियों के रूप में समझी गई रु. 4,000/- की रकम लागू होती थी । यद्यपि, दुर्घटना, वर्ष 2008 में घटित हुई थी किन्तु अपील 12 वर्षों के पश्चात् विनिश्चित की गई है । न्यायालय, इस तथ्य को उल्लिखित करता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण आदेश का अनुसरण करते हुए, नियोजक ने अभि. सा. 2 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया है और यह कथन किया है कि मृतक उसके स्थापन में लगभग 3 वर्षों से कार्य कर रहा था । नियोजक ने अपने साक्ष्य के दौरान प्रदर्श पी 5 को सम्यक् रूप से साबित किया है जो मासिक आय प्रमाणपत्र है जिसमें यह उपदर्शित है कि मृतक मासिक मजदूरियों के रूप में जिसमें भोजन संबंधी खर्चे भी सम्मिलित थे, रु. 3,200/- आहरित

कर रहा था । महत्वपूर्ण तौर पर, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकर बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध प्रत्यर्थियों द्वारा कोई अपील फाइल नहीं की गई थी । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए यह न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के अधीन पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, अधिनिर्णीत प्रतिकर में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है । उपर्युक्त उल्लिखित रूप से विधि का स्पष्टीकरण करते हुए, अपील खारिज की जाती है । निर्णय का निष्कर्ष निकालने के पूर्व, यह उल्लिखित करना आवश्यक होगा कि तारीख 14 अक्तूबर, 2019 और 18 नवम्बर, 2019 के कार्यालय रिपोर्ट में यह कथित किया गया है कि प्रत्यर्थियों पर नोटिस की तामिली पूर्ण हो गई है । अपीलार्थी को देय संपूर्ण प्रतिकर रकम रु. 8,46,120/- विनिश्चित किया जाता है जिस पर दुर्घटना की तारीख से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा । प्रतिकर संदाय करने का दायित्व, संयुक्त और पृथक् होगा । प्रतिकर, प्रथम और द्वितीय अपीलार्थियों को संयुक्त रूप से देय होगा और प्रत्यर्थियों द्वारा पृथकत: देय होगा । प्रतिकर, आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति से दो माह की अवधि समाप्त होने के भीतर संदत्त किया जाएगा । (पैरा 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 33, 34, 35 और 36)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2019] | (2019) 12 एस. सी. सी. 389 : **मोहमदी** बनाम **भारत संघ** ; | 30 |
| [2019] | (2019) 12 एस. सी. सी. 387 : **राठी मेनन और कालिंदी चरण साहु** बनाम **महाप्रबंधक, दक्षिण-पूर्व केन्द्रीय रेलवे, विलासपुर (कालिंदी)** ; | 30, 31 |
| [2019] | (2019) 3 एस. सी. सी. 572 : **भारत संघ** बनाम **रीना देवी** ; | 30, 31 |
| [2019] | (2019) 3 एस. सी. सी. 410 : **भारत संघ** बनाम **राधा यादव** ; | 31 |

[2015] (2015) 1 एस. सी. सी. 1 :
**आय कर आयुक्त** बनाम
**वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लि.** ; 27

[2012] (2012) 12 एस. सी. सी. 540 :
**ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी** बनाम **सीबी जार्ज** ; 24

[2009] (2009) 7 एस. सी. सी. 372 :
**थझाते पुराइल साराबी** बनाम **भारत संघ (थझाते)** ; 30

[2007] (2007) 2 एस. सी. सी. 349 :
**नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम
**मुबासीर अहमद (मुबासीर अहमद)** ; 11,24

[2001] (2001) 3 एस. सी. सी. 714 :
**राठी मेनन** बनाम **भारत संघ** ; 29

[1999] (1999) 8 एस. सी. सी. 254 :
**केरल राज्य विद्युत बोर्ड** बनाम 11, 21, 22, 24,
**वालसाला के. (वालसाला)** ; 28, 29, 32

[1998] विनिश्चित : तारीख 6 अप्रैल, 1998 :
**यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम
**अल्वी** ; 22, 23, 28

[1996] 1996 की सिविल अपील सं. 16904-09 :
**न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम
**नीलकंदन (नीलकंदन)** ; 11, 19, 20, 21

[1976] (1976) 1 एस. सी. सी. 289 :
**प्रतात नारायण सिंह देव** बनाम **श्रीनिवास** 11, 15, 21, 22, 23,
**सबाता (प्रताप नारायण सिंह)** । 24, 29, 30, 31, 32

**अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2019 की सिविल अपील सं. 9046.**

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अपील ।

**अपीलार्थियों की ओर से** श्री एस. महेन्दरन्, ए. सी.

**प्रत्यर्थियों की आरे से** कोई नहीं

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (डा.) धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने दिया ।

**न्या. चंद्रचूड़** – यह अपील, मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै न्यायपीठ के खंड न्यायपीठ के निर्णय से उद्भूत हुई है । कर्मकार प्रतिकर के लिए उपायुक्त के विनिश्चय से उद्भूत होने वाले अपील में, उच्च न्यायालय ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन देय प्रतिकर रु. 4,33,060/- से बढ़ाकर रु. 8,46,120/- कर दिया था । उच्च न्यायालय ने दुर्घटना की तारीख से 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज भी अधिनिर्णीत किया है ।

2. वर्तमान कार्यवाहियों में, जिसे संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन संस्थित किया गया है, एक नोटिस तारीख 26 जुलाई, 2009 को जारी किया गया था, चूंकि अपीलार्थियों का वैयक्तिक तौर पर प्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, इस न्यायालय ने तारीख 26 जुलाई, 2019 के अपने आदेश द्वारा यह निर्देश दिया था कि उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा एक न्याय-मित्र नामनिर्देशित किया जाए । तद्नुसार, श्री एम. महेन्दरन्, विद्वान् काउंसेल को न्यायमित्र के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया, जिन्हें हमने अपील के समर्थन में सुना ।

3. अपीलार्थी, दिनेश कुमार के पिता, माता, बहन और भाई थे, जिनकी मृत्यु तारीख 31 जनवरी, 2008 की दुर्घटना के दौरान हो गई थी । दुर्घटना की तारीख पर मृतक की आयु 26 वर्ष थी और ट्रेलर लॉरी के ड्राइवर के रूप में नियोजित था । जब वह एन एच 12, कोटा, राजस्थान में यान चला रहा था तो विपरीत दिशा से एक ट्रक रजिस्ट्रेशन सं. एमएच 19 जेड 1696 आ रहा था और ट्रेलर लॉरी से टक्कर हो गई जिसके परिणामस्वरूप दिनेश कुमार की मृत्यु हो गई । दुर्घटना के समय पर, मृतक, प्रथम प्रत्यर्थी के नियोजन में था । अधिनियम, 1923 के अधीन एक दावा तारीख 29 अप्रैल, 2013 को कर्मकार प्रतिकर उपायुक्त, मदुरै के समक्ष दर्ज किया गया था । तारीख 26 मार्च, 2014 को दावा

रु. 4,33,060/- की रकम में अधिनिर्णीत करते हुए मंजूर कर लिया था । उपायुक्त ने एकपक्षीय कार्यवाही की थी । अपीलार्थियों ने प्रतिकर बढ़ाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की थी ।

4. उच्च न्यायालय ने तारीख 23 नवम्बर, 2015 के अपने आदेश द्वारा नए सिरे से अवधारण करने के लिए मामले को उपायुक्त के पास वापस भेज दिया । कार्यवाहियों के वापस आने पर, उच्च न्यायालय ने यह उल्लिखित किया कि यद्यपि, अपीलार्थियों ने प्रदर्श पी-5 के रूप में वेतन प्रमाणपत्र फाइल किया था यह सिद्ध करने के लिए मृतक की प्रतिमाह आय रु. 32,000/- थी किन्तु वेतन प्रमाणपत्र को साबित करने के लिए नियोजक की ओर से किसी साक्षी की परीक्षा नहीं की गई थी । तथापि, अपीलार्थियों से यह निवेदन किया गया था कि उन्हें प्रदर्श पी-5 के समर्थन में नियोजक के साक्षी की परीक्षा करने का अवसर देना चाहिए । उच्च न्यायालय ने कार्यवाहियों के वापस होने पर न्याय हित में इस पर विचार किया था ।

5. वापस होने पर, कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, मदुरै ने तारीख 4 मार्च, 2016 के एक आदेश द्वारा रु. 4,33,060/- की रकम में प्रतिकर के अधिनिर्णय को कायम रखा । वापस होने पर, आयुक्त के समक्ष अपीलार्थियों ने अभि. सा. 2, यान के स्वामी की परीक्षा कराई थी जिसे मृतक द्वारा चलाया जा रहा था । अपने साक्ष्य के दौरान उसने निम्नलिखित कथन किया था :-

> "मैं, डब्ल्यू सी मामला सं. 74/2011 के अधीन इस मामले में प्रथम प्रत्यर्थी हूं, इस न्यायालय में विचारण के अधीन मुझे जाना जाता है । मैंने इस न्यायालय से तीन बार समन प्राप्त किया था । अंतिम दो समनों के लिए क्योंकि मेरे स्वयं की दो लॉरियां अन्य राज्यों में कार्य कर रहे थे और मैं भी वहां गया हुआ था, इसलिए, मैं आने में और न्यायालय समन के लिए साक्षी प्रस्तुत करने में असमर्थ था । दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर लॉरी टीएन 28 एबी 1933, सतीश कुमार से संबंधित थी । मृतक दिनेश कुमार पुत्र शिवरमण चालक के रूप में कार्य कर रहा था । वर्ष 2008 (तारीख 31 जनवरी, 2008) में, जब वह पांडेचेरी से राजस्थान सिरोनी जा रहा था तो

कोटा टाउन के समक्ष विपरीत दिशा से आ रही ट्रेलर लॉरी से आमने-सामने टक्कर हो गई थी और दुर्घटना कारित हो गई थी । जैसे ही दुर्घटना कारित हुई, उसी दुर्घटनास्थल पर दिनेश कुमार की मृत्यु हो गई थी । दुर्घटना के पूर्व वह लगभग 3 वर्षों से कार्य कर रहा था । उसके पास वैध चालन अनुज्ञप्ति थी । उसके पास भारी यान को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति थी । प्रदर्श पी-5, मासिक वेतन प्रमाणपत्र, मेरे द्वारा जारी की गई थी । इसमें मृतक दिनेश कुमार को मैं रु. 32,000/- प्रतिमाह (भोजन खर्चे सम्मिलित) का संदाय कर रहा था, किन्तु रु. 25,000/- ही संदाय किया था । दुर्घटना में अंतर्वलित यान, द्वितीय प्रत्यर्थी कंपनी मैसर्स रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी के साथ समुचित तौर पर बीमाकृत थी । दुर्घटना के समय पर बीमा चालू था ।"

6. तथापि, आयुक्त ने इस आधार पर कार्यवाही की कि अधिनियम, 1923 की धारा 4(1ख) के अधीन जारी अधिसूचना के निबंधनों में, एक व्यक्ति द्वारा प्रतिमाह वेतन जो भी प्राप्त किया गया है, न्यायनिर्णयन करने वाली प्राधिकारी की अधिकारिता, कर्मकार की प्रतिमाह मजदूरियों की संगणना करने में रु. 4000/- प्रतिमाह से सिलिंग के अध्यधीन थी । रु. 4000/- की प्रतिमाह वेतन लेते हुए, आयुक्त ने अनुसूची IV के निबंधनों में 215.28 के गुणक (मृतक की आयु 26 वर्ष होने के नाते) को लागू किया और रु. 4,30,560/- का अंक प्राप्त किया जिसमें रु. 2500/- की अतिरिक्त रकम अंतयेष्टि खर्चों को भी जोड़ा गया था । संपूर्ण रकम रु. 4,33,060/- अधिनिर्णीत करते हुए, अपीलार्थियों को देय प्रतिकर के रूप में डिक्री की गई थी ।

7. उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल अपील में, खंड न्यायपीठ ने इस तथ्य को नोट किया कि प्रतिप्रेषण आदेश के अनुसरण में, मृतक कर्मकार का वेतन रु. 32,000/- प्रतिमाह साबित किया गया था । उच्च न्यायालय ने यह उल्लिखित किया कि यद्यपि, दुर्घटना तारीख 31 जनवरी, 2008 को घटित हुई थी किन्तु, प्रतिकर के लिए याचिका तारीख 28 जनवरी, 2011 को फाइल की गई थी और तारीख 4 मार्च, 2016 को आयुक्त द्वारा विनिश्चित की गई थी ।

8. इसी बीच में, केन्द्रीय सरकार द्वारा तारीख 31 मई, 2010 को निम्नलिखित निबंधनों में एक अधिसूचना जारी की गई थी :-

> "एस.ओ. 1258(ई)-कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का घ) की धारा 4 की उपधारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तद्द्वारा, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, मासिक मजदूरी के रूप में निम्नलिखित रकम अर्थात् आठ हजार रुपए, शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तत्काल प्रभाव से विनिर्दिष्ट करती है ।"

9. उच्च न्यायालय का यह मत था कि इस तथ्य का सम्मान करते हुए कि प्रश्नगत विधान, एक सामाजिक कल्याण विधान है, जिसमें संगणना के आधार के प्ररूप में रु. 8,000/- प्रतिमाह की आय को बढ़ाया गया है । इस प्रकार, अनुसूची IV के निबंधनों में गुणक लागू करते हुए, उच्च न्यायालय ने प्रतिकर की रकम रु. 8,86,120/- तक बढ़ा दिया था ।

10. इस न्यायालय के समक्ष अपील में, विद्वान् न्यायमित्र ने यह तर्क दिया कि दोनों आयुक्त और उच्च न्यायालय ने त्रुटि की है - आयुक्त ने रु. 4,000/- प्रतिमाह के अंक को अंगीकार किया है और उच्च न्यायालय ने रु. 8,000/- प्रतिमाह को अंगीकार किया है । विद्वान् न्यायमित्र ने यह निवेदन किया है कि अधिनियम, 1923 की धारा 4(1)(क) के उपबंधों के निबंधनों में, जहां मृत्यु क्षति के परिणामस्वरूप हुई है, वहां देय प्रतिकर, सुसंगत कारक में गुणक लागू करते हुए, मृतक कर्मकार की मासिक मजदूरी के 50 प्रतिशत के बराबर होता है । सुसंगत कारक, अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट है और मृतक के लिए जिसकी आयु दुर्घटना की तारीख पर 26 वर्ष थी, गुणक 215.28 होगा । विद्वान् न्यायमित्र ने यह निवेदन किया है कि धारा 4 की उपधारा (1ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए कर्मकार के संबंध में मासिक मजदूरियों को विनिर्दिष्ट करते हुए, अधिसूचना जारी करने के लिए सशक्त है क्योंकि इस पर विचार करना आवश्यक है । तथापि, यह निवेदन किया कि अधिसूचना, मासिक मजदूरियों पर कोई आवरण या सिलिंग अधिरोपित नहीं करता है जो बकाया और देय

प्रतिकर की गणना करने के आधार के प्ररूप में हो । जहां एक कर्मकार की वास्तविक मजदूरी उस रकम से अधिक साबित कर दी गई है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तो धारा 4(1)(ख) के निबंधनों में यथा साबित मासिक मजदूरियों को अंगीकार करने में कोई वर्जन नहीं है । विद्वान् काउंसेल ने 2009 के अधिनियम 45 जो तारीख 18 जनवरी, 2010 से प्रर्वतन में आया, का उल्लेख करते हुए अपने निवेदन को पुष्ट किया और धारा 4 के स्पष्टीकरण II में समझे जाने वाले उपबंध को रद्द किया । इसके अतिरिक्त, विद्वान् न्यायमित्र द्वारा यह तर्क दिया गया कि मजदूरियों की गणना करने की पद्धति धारा 5 में विनिर्दिष्ट है । यह तर्क दिया गया कि धारा 5 का खंड (क) वर्तमान मामले में लागू होता है क्योंकि कर्मकार, नियोजक की सेवा में घटना के तत्काल पूर्ववर्ती 12 मास से अधिक की अवधि के दौरान निरंतर सेवा में था ।

11. विद्वान् न्यायमित्र ने विलंबित प्रक्रम पर **प्रतात नारायण सिंह देव** बनाम **श्रीनिवास सबाता (प्रताप नारायण सिंह)**[1] और **केरल राज्य विद्युत बोर्ड** बनाम **वालसाला के. (वालसाला)**[2] वाले मामलों में, इस न्यायालय के निर्णयों में विभेद करने की ईप्सा की है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम, 1923 के अधीन देय प्रतिकर का अवधारण करने के लिए सुसंगत तारीख, दुर्घटना की तारीख है और प्रतिकर की रकम बढ़ाने वाले संशोधन का फायदा उन दुर्घटनाओं में लागू नहीं होंगे जो इस संशोधन के प्रवर्तन में आने से पूर्व हुए हैं । इसके समर्थन में न्यायमित्र ने **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **नीलकंदन (नीलकंदन)**[3] और **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **मुबासीर अहमद (मुबासीर अहमद)**[4] वाले मामलों में, इस न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया है ।

12. अधिनियम, 1923 की धारा 4(1)(क) में अंतर्विष्ट उपबंध निम्नलिखित हैं :-

---

[1] (1976) 1 एस. सी. सी. 289.

[2] (1999) 8 एस. सी. सी. 254.

[3] 1996 की सिविल अपील सं. 16904-09.

[4] (2007) 2 एस. सी. सी. 349.

"4. प्रतिकर की रकम – (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि प्रतिकर की रकम निम्नलिखित होगी, अर्थात् -

| | |
|---|---|
| (क) जहां कि क्षति के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है | मित्र कर्मकार की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम के पचास प्रतिशत के बराबर रकम, या<br>अस्सी हजार रुपए की रकम, इनमें से जो भी अधिक हो । |

13. उपर्युक्त उपबंध के परंतुक में यह अनुध्यात है कि केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, शासकीय राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित प्रतिकर की रकम को बढ़ा सकती है । खंड (ख), क्षति के परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण नि:शक्तता के अंतर्वलित मामलों में विचार करता है । अभिव्यक्ति 'सुसंगत कारक' अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट कारकों में आने वाले स्पष्टीकरण I में परिभाषित है । 2009 के अधिनियम 45 के पूर्व, धारा 4 में स्पष्टीकरण II अंतर्विष्ट था जो निम्नलिखित निबंधनों में था :-

"**स्पष्टीकरण II** – जहां कर्मकार की मासिक मजदूरी चार हजार रुपए से अधिक है वहां खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए उसकी मासिक मजदूरी मात्र चार हजार रुपए समझी जाएगी ।

14. 2009 के अधिनियम 45 द्वारा जो तारीख 18 जनवरी, 2010 को प्रवर्तन में आया स्पष्टीकरण II को निरस्त कर दिया गया । धारा 4 में अंत:स्थापित उपधारा (1ख) निम्नलिखित है :–

"(1ख) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए कर्मकार के संबंध में ऐसे मासिक मजदूरियों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझती है ।"

15. इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि 2009 के अधिनियम 45 का फायदा जो स्पष्टीकरण II में समझे गए उपबंध को निरस्त कर दिया था जो कर्मकार की मासिक मजदूरी रु. 4,000/- पर आवरण डालता था, उन दुर्घटनाओं जो इन उपबंधों को प्रवर्तन में आने अर्थात् तारीख 8 जनवरी, 2010 के पूर्व घटित हुई हैं, में लागू होगा और जिनमें अंतिम न्यायनिर्णयन लंबित है । यह निर्धारित करने में कि क्या 2009 का अधिनियम 45 भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा, इस न्यायालय के सुसंगत पूर्ववर्ती न्याय-निर्णयों का विश्लेषण आवश्यक है । **प्रताप नारायण सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में, प्रथम प्रत्यर्थी, अपीलार्थी के नियोजन में था और उसे क्षतियां कारित हुई जो नियोजन से और नियोजन के दौरान कारित हुई थीं । यह दलील दी गई थी कि आयुक्त ने अधिनियम 1923 की धारा 4क(3) के अधीन अपीलार्थी पर शास्ति अधिरोपित करने में विधि में त्रुटि कारित की है क्योंकि देय प्रतिकर तब तक इसके अधीन नहीं आता था जब तक कि इसे अधिनियम, 1923 की धारा 19 के अधीन आयुक्त द्वारा निपटाया नहीं जाता है । धारा 4क इस प्रकार है :-

"4क. **शोध्य हो जाने पर प्रतिकर का दिया जाना और व्यतिक्रम के लिए शास्ति** - (1) धारा 4 के अधीन प्रतिकर शोध्य होते ही दे दिया जाएगा ।

(2) जिन दशाओं में नियोजक प्रतिकर के लिए दायित्व दावाकृत विस्तार तक प्रतिगृहीत नहीं करता उनमें जिस प्रकार विस्तार तक का दायित्व वह प्रतिगृहीत करता है उस पर आधृत अनंतिम संदाय करने के लिए वह आबद्ध होगा और ऐसा संदाय, कोई अतिरिक्त दावा करने में संबंध में कर्मकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, आयुक्त के पास निक्षिप्त कर दिया जाएगा या कर्मकार को दे दिया जाएगा ।

(3) जहां कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन शोध्य प्रतिकर को उसके शोध्य हो जाने की तारीख से एक मास के भीतर देने में व्यतिक्रम करता है, वहां आयुक्त –

(क) यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम के अतिरिक्त, उस पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से या किसी अनुसूचित बैंक की उधार देने की अधिकतम दरों से अनधिक ऐसी उच्चतर दर से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शोध्य रकम पर विनिर्दिष्ट की जाए, साधारण ब्याज का संदाय करेगा, और

(ख) यदि उसकी यह राय है कि विलंब के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं है तो, यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम और उस पर ब्याज के अतिरिक्त ऐसी रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा .... ।"

16. धारा 4(क)(1) के निबंधनों में, धारा 4 के अधीन प्रतिकर, शोध्य होते ही देय हो जाता है । धारा 4(क)(2) में ऐसी स्थिति अनुध्यात है जिसमें नियोजक, यद्यपि, क्षतिग्रस्त कर्मकार को प्रतिकर संदाय करने के दायित्व को स्वीकार करता है, फिर भी वह देय प्रतिकर की मात्रा को विवादित करता है । ऐसे मामलों में, उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि नियोजक स्वीकृत दायित्व की सीमा पर आधारित अनंतिम संदाय आयुक्त के पास इसे जमा करके कर सकता है या इसे प्रत्यक्ष तौर पर कर्मकार को संदाय कर सकता है । धारा 4(क)(3) यह अनुध्यात करता है कि जहां कोई नियोजक शोध्य प्रतिकर को उसके शोध्य हो जाने की तारीख से एक माह के भीतर देने में व्यतिक्रम करता है वहां आयुक्त, संदाय करने में अन्यायोचित विलंब के लिए बकाया के रूप में अतिरिक्त रकम के साथ ब्याज का संदाय करने का निदेश देने लिए सशक्त है । अधिनियम, 1923 की धारा 19 इस प्रकार है :–

"19. **आयुक्तों को निदेश** – (1) यदि प्रतिकर देने के किसी व्यक्ति के दायित्व के विषय में कोई प्रश्न (जिसके अंतर्गत यह

प्रश्न आता है कि क्षत व्यक्ति कर्मकार है या नहीं), या प्रतिकर की रकम या अस्तित्वावधि के विषय में कोई प्रश्न (जिसके अंतर्गत नि:शक्तता के प्रकार या विस्तार विषयक प्रश्न आता है) इस अधिनियम के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों में उठता है तो वह प्रश्न करार के अभाव में आयुक्त द्वारा तय किया जाएगा ।"

17. धारा 19 में यह अनुध्यात है कि अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में करार के व्यमिक्रम के बारे उठने वाले प्रश्न का निपटारा आयुक्त द्वारा किया जाएगा । इस न्यायालय के चार न्यायाधीशों के न्यायपीठ ने अपीलार्थी के तर्क को नामंजूर कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिकर दुर्घटना की तारीख पर 'देय' हो जाता है । परिणामत:, आयुक्त दावा निपटारा करने या जहां प्रतिकर संदाय करने में अन्यायोचित विलंब हुआ था, के पूर्व की अवधि के लिए ब्याज या शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त था । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि :-

"18. .... इसलिए, नियोजक दुर्घटना द्वारा कर्मकार को जैसे ही पूर्वोक्त वैयक्तिक क्षति कारित होती है, प्रतिकर देने के लिए दायी हो जाता है जो स्वीकृतत: नियोजन से या नियोजन के दौरान उद्भूत होता है । इसलिए, यह दलील देना तुच्छ है कि धारा 19 के अधीन आयुक्त के आदेश तारीख 6 मई, 1969 के पश्चात् प्रतिकर देय नहीं हुआ था । धारा यह उपबंधित करती है कि यदि करार के व्यतिक्रम में किसी व्यक्ति को प्रतिकर देने के दायित्व या प्रतिकर की रकम या प्रतिकर की अवधि के बारे में अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो आयुक्त द्वारा उनका निपटारा किया जाएगा । इसलिए, इस तर्क में कुछ भी न्यायोचित नहीं है कि क्षति के संबंध में धारा 3 के अधीन नियोजक द्वारा प्रतिकर संदाय करने का दायित्व तब तक निलंबित होता है जब तक कि धारा द्वारा अनुध्यात निपटारा नहीं हो जाता है ।

19. इस प्रकार, अपीलार्थी, प्रत्यर्थी को जैसे ही पूर्वोक्त वैयक्तिक क्षति कारित हुई, प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी हो

गया था और इसके प्रतिकूल तर्क का कोई न्यायोचितता नहीं है । अधिनियम की धारा 4(क)(1) के अधीन अपीलार्थी का यह कर्तव्य था कि वह प्रत्यर्थी को जैसे ही वैयक्तिक क्षति कारित हुई थी, धारा 4 द्वारा उपबंधित दर पर प्रतिकर का संदाय करे । वह ऐसा करने में असफल रहा । इससे बुरा यह हुआ कि वह जैसा कथित किया गया है धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अनंतिम संदाय करने में भी असफल रहा, उसने यह मिथ्या अभिवाक्य किया कि प्रत्यर्थी एक आकस्मिक ठेकेदार था और यह कि दुर्घटना एकमात्र उसकी उपेक्षा के कारण घटित हुई थी । उसके बाद, यह भी तथ्य है कि उसने प्रतिकर प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थी की वैयक्तिक प्रार्थना करने पर भी कोई संदाय नहीं किया । इस बात को दोहराना होगा कि प्रत्यर्थी ने अपनी आवश्यकता को बताने और दावे का निपटारा करने के लिए आयुक्त के पास गया और वहां भी अपीलार्थी ने आयुक्त की अधिकारिता के बारे में तुच्छ आक्षेप उद्भूत किया और रकम के लिए दावे का निपटारा करने के लिए करार के ज्ञापन को फाइल करने के लिए प्रत्यर्थी पर दबाव बनाया, और रकम घोरत: इतना अपर्याप्त था कि आयुक्त द्वारा इसे नामंजूर कर दिया गया था । इन तथ्यों और परिस्थितियों में, हमें इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि आयुक्त, ब्याज और शास्ति का संदाय करने के लिए आदेश करने में पूर्णतया न्यायोचित था ।"

18. न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि, धारा 19, आयुक्त को अधिनियम के अधीन दावों या आक्षेपों को विनिश्चित करने के लिए सशक्त करता है, क्षतिग्रस्त कर्मकार को प्रतिकर संदाय करने की आबद्धता को तब तक निलंबित नहीं किया जा सकता था जब तक कि आयुक्त द्वारा नियोजक और कर्मकार के बीच विवादित मामले में देय रकम का निपटारा नहीं कर दिया जाता । धारा 4क उस बारे में विचार करती है जबकि अधिनियम, 1923 के अधीन यथा अपेक्षित प्रतिकर का संदाय करने की आबद्धता उद्भूत होती है । अधिनियम, 1923 की धारा 4क के प्रयोजन के लिए, प्रतिकर संदाय करने की आबद्धता दुर्घटना की तारीख पर उद्भूत होती है । जहां कोई नियोजक देय प्रतिकर

की मात्रा के बारे में विवाद उठाता है वहां वह आयुक्त को या कर्मकार को दावे का निपटारा लंबित रहने के दौरान अनंतिम संदाय कर सकता है । यह सुनिश्चित करने के अनुक्रम में कि नियोजक प्रतिकर संदाय करने की अपनी आबद्धता या तुच्छ आधारों पर असम्यक् तौर पर संदाय विलंब करने से नहीं बचे ।

19. **नीलकंदन** (उपर्युक्त) वाले मामले में, दुर्घटना, अधिनियम, 1923 में संशोधन के प्रवर्तन में आने के पूर्व घटित हुई थी जिसके अधीन समझी गई आय रु. 1,000/- से बढ़ाकर रु. 2,000/- कर दी गई थी । न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या संशोधन का फायदा उन घटनाओं तक विस्तारित किया जा सकता है जो इसके प्रवर्तन में आने के पूर्व घटित हुई हैं और जहां देय रकम का अंतिम न्यायनिर्णयन लंबित है । इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों के न्यायपीठ ने निम्नलिखित निबंधनों में यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि, प्रश्नगत घटना वर्ष 1981 में घटित हुई थी, संशोधन का फायदा उन घटनाओं में लागू होगा जो संशोधन के प्रवर्तन में आने के पूर्व घटित हुई है :–

> "यह विवादित नहीं है कि अधिनियम, 1923 की धारा 4, संशोधन अधिनियम 30 द्वारा वर्ष 1995 में संशोधित हुई है, जिसके अधीन समझी गई आय रु. 1,000/- से बढ़ाकर रु. 2,000/- कर दी गई है । बीमा कंपनी के विद्वान् काउंसेल ने यह जोरदार रूप से दलील दी है कि चूंकि दुर्घटना वर्ष 1981 में घटित हुई है, इसलिए, उस तारीख को प्रवर्तित विधि ही लागू होगी और इस प्रकार, कर्मकार, संशोधन का फायदा पाने का हकदार नहीं है । हम, विद्वान् काउंसेल की दलील से सहमत नहीं हैं । आज, हमें कर्मकार के अधिकार को अंतिम तौर पर अवधारण करना है । अधिनियम, 1923, श्रमिकों के फायदे के लिए एक विशेष विधान है । अधिनियम, 1923 के स्कीम को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह मत है कि मात्र वह निर्वचन जो संशोधन के लिए किया जा सकता है, वह यह है कि कोई फायदा जो कर्मकार को प्रदत्त करता है और उक्त फायदा उस तारीख पर उपलब्ध है जब मामले का अंतिम तौर पर न्यायनिर्णयन किया जाता है, उक्त फायदा कर्मकार तक

विस्तारित होना चाहिए । इसलिए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि कर्मकार के उत्तराधिकारियों को संदत्त की जाने वाली प्रतिकर की संगणना उसके द्वारा आहरित वास्तविक मजूदियां रु. 1,800/- के आधार पर किया जाना चाहिए ..... ।

(रेखांकन जोर देने के लिए किया गया है)

20. न्यायालय ने यह उल्लिखित किया है कि अधिनियम, 1923 कर्मचारियों के फायदे के लिए एक सामाजिक कल्याण विधायन है । परिणामत:, अधिनियम, 1923 के स्कीम को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को ऐसा निर्वचन अंगीकार करना चाहिए जो दावे के अंतिम न्यायनिर्णयन की तारीख पर कर्मचारी के फायदों तक विस्तारित करती हूं । जहां मामला, अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है और एक संशोधन, देय प्रतिकर की रकम में वृद्धि करने के लिए अधिनियमित किया जाता है, वहां बढ़ा हुआ रकम, देय प्रतिकर की मात्रा के अवधारण में लागू होगा । विद्वान् न्यायमित्र द्वारा किए गए निवेदन में इसके सुस्पष्टत: अभाव में इस न्यायालय के पश्चात्वर्ती न्यायपीठ द्वारा **नीलकंदन** (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिकथित विधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विचार किया जा सकता है ।

21. **वालसाला** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या प्रतिकर की रकम में वृद्धि करते हुए, अधिनियम, 1923 की धारा 4 और धारा 4क में संशोधन और ब्याज की दर उन मामलों में लागू होंगे जहां दुर्घटना, संशोधन के प्रवर्तन में आने के पूर्व घटित हुई हैं । इस न्यायालय ने यह उल्लिखित किया कि देश के कतिपय उच्च न्यायालयों ने एकरूपता में इस प्रास्थिति को अपनाया कि पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को अवधारित करने के लिए सुसंगत तारीख, दुर्घटना की तारीख है । **प्रताप नारायण सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए, इस न्यायालय ने **नीलकंदन** (उपर्युक्त) वाले मामले में, दिए गए निर्णय को उलट दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि संशोधन का फायदा जिसके अधीन देय प्रतिकर में वृद्धि की गई है, उन दुर्घटनाओं में लागू नहीं होंगे, जो संशोधन के प्रवर्तन में आने के पूर्व

घटित हुई हैं । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि :-

> "4. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. **बनाम** नीलकंदन (उपर्युक्त) वाले मामले में, यद्यपि, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों के न्यायपीठ ने यह मत अपनाया कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, कर्मकार के फायदे के लिए विशेष विधान होने के नाते न्यायनिर्णयन की तारीख पर यथा उपलब्ध फायदे को कर्मकार तक विस्तारित करना चाहिए और न कि प्रतिकर जो दुर्घटना की तारीख पर देय होता है । तथापि, **नीलकंदन** (उपर्युक्त) वाले मामले में दो न्यायाधीशों के न्यायपीठ ने **प्रताप नारायण सिंह देव** (उपर्युक्त) वाले मामले में, निर्णय को उल्लिखित नहीं किया क्योंकि इसे उपधारणा के रूप में माननीय न्यायाधीशों के नोटिस में नहीं लाया गया था । ऐसा होते हुए भी, **प्रताप नारायण देव** (उपर्युक्त) वाले मामले में, बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा अधिकथित सुस्पष्टत: विधि को ध्यान में रखते हुए, नीलकंदन (उपर्युक्त) वाले मामले में दो न्यायाधीशों के न्यायपीठ द्वारा अभिव्यक्त मत सही नहीं है ।"

22. **वालसाला** (उपर्युक्त) वाले मामले में, निर्णय के दौरान तीन न्यायाधीशों के न्यायपीठ ने **प्रताप नारायण सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में बृहत्तर न्यायपीठ के निर्णय के अनुसार, 'इसके विस्तार तक' **यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **अल्वी**[1] वाले मामले में, केरल उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायाधीशों की न्यायपीठ के निर्णय की भी पुष्टि की है । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि :-

> "5. हमारा ध्यान, यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि. **बनाम** अल्वी (उपर्युक्त) वाले मामले में केरल उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय की ओर भी दिलाया गया है जिसमें पूर्ण न्यायपीठ ने गंभीरतापूर्वक उसी प्रकार के प्रश्न पर विचार किया है और उपर्युक्त उल्लिखित दोनों निर्णयों की परीक्षा की है । यह मत अपनाया कि क्षतिग्रस्त कर्मकार उस स्थिति में प्रतिकर पाने का हकदार हो जाता है जब उसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के

---

[1] विनिश्चित : तारीख 6 अप्रैल, 1998.

उपबंधों द्वारा अनुध्यात किसी भी प्रकार की वैयक्तिक क्षतियां कारित होती हैं और प्रतिकर की रकम दुर्घटना की तारीख पर देय होती है और न कि प्रतिकर की रकम वर्ष 1995 में किए गए संशोधन के कारण देय होती है जो सुसंगत है । केरल उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ का विनिश्चय, इसके विस्तार तक, प्रताप नारायण सिंह देव **बनाम** श्रीनिवास सबाता (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के बृहत्तर न्यायपीठ के निर्णय के अनुसार है, जो सही विधि अधिकथित करती है और हम, इसे अनुमोदित करते हैं ।"

23. **अल्वी** (उपर्युक्त) वाले मामले में, केरल उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष यह न्यायनिर्णय किया जाना अपेक्षित था कि क्या अधिनियम, 1923 की धारा 4 और धारा 4क, जैसा कि प्रतिकर की रकम और ब्याज की दर को बढ़ाते हुए, वर्ष 1995 में संशोधित किया गया, उन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु और स्थायी नि:शक्तता के संबंध में दावों को लागू होंगे जो 15 सितम्बर, 1995 के पूर्व घटित हुए हैं अर्थात् उस तारीख से जिस तारीख को संशोधित उपबंध प्रवर्तन में आए । न्यायालय के समक्ष सभी अपीलों में, दुर्घटना के साथ ही आयुक्त द्वारा दावों का निपटारा, देय प्रतिकर की मात्रा को बढ़ाने वाले संशोधित उपबंधों के प्रवर्तन में आने के पूर्व घटित हुए हैं । न्यायालय ने **प्रताप नारायण सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय के विनिश्चय का अवंलब लिया और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिकर बढ़ाने वाले संशोधित अधिनियम, मात्र उन दुर्घटनाओं में लागू होंगे जो संशोधन के प्रवर्तन में आने के पश्चात् घटित हुए हैं । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि :-

"17. प्रतिकर दावा करने के अधिकार के साथ ही साथ उसे संदाय करने की आबद्धता स्वयं संविधि द्वारा सृजित की गई है । निर्वचन का यह सुस्थिर नियम है कि यदि विधि प्रक्रियात्मक है तो वहां निस्संदेह यह उपधारणा होती है कि वह लंबित कार्यवाहियों में लागू होगा । यदि विधि, सारवान् प्रकृति की है तो भूतलक्षी होने के विरुद्ध साधारण उपधारणा अच्छी होती है, इस सिद्धांत के अध्यधीन

कि न्यायालय को इस प्रश्न पर अवश्य ही विचार करना चाहिए कि क्या कार्यवाहियों के आरंभ में पक्षकारों के अधिकार, उपांतरित करने के लिए या तो अभिव्यक्त तौर पर या आवश्यक रूप से लागू करके, आशयित थे : नीली **बनाम** नारायण पिल्ला [(1992) 2 क्रिमिनल ला जर्नल 937-950] यदि संशोधित उपबंधों को उस दुर्घटना के संबंध में भी जो 15 सितम्बर, 1995 के पूर्व घटित हुई है, बढ़े हुए प्रतिकर को अधिनिर्णीत करने के मामलों में प्रभावी बनाया जाता है और दावे को उस तारीख के पूर्व विनिश्चित किया जाता है तो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के असंशोधित उपबंध लागू होंगे । किन्तु, यदि दावे का निपटारा 15 सितम्बर, 1995 के पूर्व नहीं हो सका है जैसा कि **अशोकन** (उपर्युक्त) वाले मामले में खंड न्यायपीठ के विनिश्चय में हुआ है, तो उन दावेदारों को संशोधित अधिनियम, 1923 का फायदा मिलेगा । दूसरे शब्दों में, संशोधित अधिनियम का फायदा इस बात पर निर्भर होगा कि कब मामले का विनिश्चय हुआ, या तो 15 सितम्बर, 1995 के पूर्व या उसके पश्चात् । यह कभी भी विधान-मंडल का आशय नहीं रहा था .....।"

24. **वालसाला** (उपर्युक्त) वाले मामले में न्यायपीठ के समक्ष स्पष्टत: प्रश्न यह था कि क्या प्रतिकर और ब्याज की दर की रकम को बढ़ाने वाले, अधिनियम, 1923 की धारा 4 और धारा 4क के संशोधन, उन मामलों में लागू होंगे जहां दुर्घटना संशोधन के प्रवर्तन के आने के पूर्व घटित हुई है । न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिकर की मात्रा बढ़ाने वाले संशोधित अधिनियम का फायदा उन दुर्घटनाओं में लागू नहीं होंगे जो कि संशोधन के प्रवर्तन में आने के पूर्व घटित हुए हैं । यद्यपि, विद्वान् न्यायमित्र ने **मुबासिर अहमद** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों के न्यायपीठ के निर्णय का अवलंब लेने की ईप्सा की है, किन्तु इस प्रक्रम पर यह नोट करना पर्याप्त है कि **ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी** बनाम **सीबी जार्ज**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय के पश्चात्वर्ती निर्णय में यह उल्लिखित किया गया कि

[1] (2012) 12 एस. सी. सी. 540.

**मुबासिर अहमद** (उपर्युक्त) वाले मामले में, दिया गया निर्णय, **प्रताप नारायण सिंह** (उपर्युक्त) और **वालसाला** (उपर्युक्त) वाले मामलों में, इस न्यायालय के निर्णयों के प्रतिकूल है और अतएव, यह पूर्ववर्ती निर्णय के रूप में आबद्धकर नहीं है ।

25. अधिनियम, 1923 एक सामाजिक फायदाग्राही विधान है और इसके उपबंधों और उनमें संशोधनों का निर्वचन इस प्रकार करना चाहिए कि विधान का फायदा पाने से कर्मचारी वंचित न रह जाए । अधिनियम को अधिनियमित करने का उद्देश्य, उन आर्थिक तौर पर गरीब कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करना है जो जोखिम भरे कार्य करते हैं या जोखिम में डालने वाले व्यवसाय करते हैं उन्हें आर्थिक फायदा पहुंचाते हुए प्रतिकर प्रदान करने के लिए सस्ता और फुर्तीला मशीनरी उपलब्ध कराना है । अधिनियम, 1923 में संशोधन, प्रतिकर प्रक्रिया को धारा प्रवाही बनाने या कर्मचारियों को देय प्रतिकर की रकम बढ़ाने के मुख्य प्रयोजन के लिए भी किया गया है ।

26. 2009 की अधिनियम 45 के पूर्व, धारा 4 के स्पष्टीकरण II में समझे गए उपबंध को ध्यान में रखते हुए, एक कर्मचारी की मासिक मजदूरियां रु. 4,000/- नियत की गई थी, जहां कर्मचारी रु. 4000/- से अधिक मासिक मजदूरी के संदाय को साबित करने में समर्थ था । विधान-मंडल ने अपने विवेक से और सामाजिक कल्याण विधान के रूप में अधिनियम, 1923 के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, समझे गए उपबंध में प्रतिकर की मात्रा में बढ़ोतरी नहीं की, अपितु इसे पूर्णतया हटा दिया । मुख्य प्रयोजन के अग्रसर में संशोधन, जो उन दुर्घटनाओं जो नियोजन के दौरान घटित हुई हैं और नियोजन से उद्भूत हुई हैं, सभी कर्मचारियों को प्रतिकर उपबंध कराने के अधिनियम, 1923 का आधार है । संशोधन का उद्देश्य, एक कर्मचारी के मासिक आय पर समझी हुई नियत आय को निरस्त करना है और इसे उनके द्वारा आहरित वास्तविक मासिक मजदूरियों के आधार पर उनके प्रतिकर को बढ़ाना है । तथापि, यह उपदर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि विधान-मंडल का आशय उन दुर्घटनाओं तक फायदा पहुंचाने के लिए था जो संशोधन के प्रवर्तन में आने के पूर्व घटित हुए हैं ।

27. विद्वान् न्यायमित्र ने **आय कर आयुक्त** बनाम **वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लि**[1]**.** वाले मामले में, इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए यह दलील दी कि व्यक्तियों को फायदा प्रदत्त करने वाले संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए । इस मामले में, इस न्यायालय के सांविधानिक न्यायपीठ के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या धारा 113 का परंतुक जिसे वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा अंत:स्थापित किया गया था, भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा । ऐसे तलाशी मामलों में निर्धारणों को सरलीकरण करने के साथ ही साथ कर अपवंचन को नियंत्रित करने और शीघ्रता से निपटाने के लिए ब्लाक निर्धारण के लिए स्कीम को वित्त अधिनियम के अध्याय XIV-B (1 जुलाई, 1995 के तत्काल प्रभाव से लागू) में अंत:स्थापित किया गया था । परंतुक को ध्यान में रखते हुए, उस संदर्भ में एक तारीख विनिर्दिष्ट की गई थी जिस तारीख से अधिभार की दर ब्लाक निर्धारणों पर देय होती हैं । इस न्यायालय ने यह उल्लिखित किया है कि ब्लाक निर्धारण के लिए अध्याय 1 स्व-अंतर्विष्ट संहिता है और परंतुक का प्रभाव, निर्धारिती पर अतिरिक्त प्रभार अधिरोपित करना था । परिणामत:, यह अभिनिर्धारित किया कि परंतुक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है । निर्णय के दौरान, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि :-

> "30. हम, पूर्णता के लिए यह भी इंगित करना चाहते हैं कि जहां फायदा, विधान-मंडल द्वारा प्रदत्त किया जाता है वहां भूतलक्षी संरचना के विरुद्ध नियम भिन्न है । यदि विधान-मंडल कुछ व्यक्तियों को फायदा प्रदत्त करता है किन्तु कुछ अन्य व्यक्तियों या साधारण जनता पर तत्समानी क्षति पर प्रभाव डाले बिना और जहां ऐसे प्रदत्त फायदे विधि बनाने वालों के उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं तो वहां यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा विधान इसे उद्देश्यपरक संरचना देने के लिए किया गया है जिसे भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना अपेक्षित होता है । भूतलक्षी प्रभाव के रूप में, यह प्रक्रियात्मक उपबंधों में लागू करने के लिए ठीक तरह से न्यायोचित है । भारत सरकार **बनाम** इंडियन टोबैको, एशोसिएशन

---

[1] (2015) 1 एस. सी. सी. 1.

[(2005) 7 एस. सी. सी. 396] वाले मामले में, ऋजुता के सिद्धांत को भूतलक्षी रूप से इसे लागू करने के संदर्भ में, फायदा प्रदत्त करने वाले संविधि के निर्माण में सुसंगत कारक के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था । इसी ऋजुता के सिद्धांत में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधि, भूतलक्षी प्रकृति की हो सकती है, जिसे विजय **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(2006) 6 एस. सी. सी. 289] वाले मामले में, लागू किया गया था । यह अभिनिर्धारित किया गया था जहां एक विधि समुदाय के साथ ही संपूर्ण लोगों के फायदे के लिए अधिनियमित किया जाता है वहां उपबंध के अभाव में भी संविधि को भूतलक्षी प्रकृति का होना अभिनिर्धारित किया जा सकता है । तथापि, हम यहां ऐसी किसी स्थिति का सामना नहीं कर रहे हैं ।"

28. इस न्यायालय ने इस न्यायालय की सुस्थिर पूर्व-निर्णय के अनुसरण में यह अभिनिर्धारित किया कि जहां (i) एक विधान कुछ व्यक्तियों को फायदा प्रदत्त करता है, (ii) कुछ अन्य व्यक्तियों या साधारण जनता पर तत्समानी प्रभावी डाले बिना और (iii) जहां ऐसे फायदों का प्रदत्त किया जाना विधान-मंडल का आशय प्रतीत होता है, वहां भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने की उपधारणा की जा सकती है । यद्यपि, अधिनियम, 1923 के अधीन देय प्रतिकर बढ़ाने वाले संशोधन, कर्मचारियों को फायदा प्रदत्त करते हैं, जो नियोजकों को उच्चतर दर पर प्रतिकर संदाय करने का तत्समानी भार अधिरोपित करते हैं । इसकी इस कारण से भी उपधारणा की जाती है कि **वालसाला** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ और **अल्वी** (उपर्युक्त) वाले मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकर की दर बढ़ाने वाले संशोधन का फायदा उन दुर्घटनाओं में भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है जो संशोधन के प्रर्वतन में आने के पूर्व घटित हुए हैं । आगे, जैसा कि हम पहले ही उल्लिखित कर चुके हैं कि 2009 के अधिनियम, 45 में, या तो अभिव्यक्त विवक्षित तौर पर ऐसा कुछ नहीं है जो उन दुर्घटनाओं में संशोधन का फायदा प्रदत्त करने के लिए विधान-मंडल के आशय को निर्दिष्ट करता है जो संशोधन के प्रर्वतन में आने के पूर्व घटित हुई हैं ।

29. हम, रेलवे अधिनियम, 1989 के अधीन देय प्रतिकर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख के बारे में विधि की प्रास्थिति का संक्षिप्त तौर पर पहले ही उल्लेख कर चुके हैं । अधिनियम, 1989 के अध्याय XIII जिसका शीर्षक 'दुर्घटनाओं के दौरान यात्रियों की मृत्यु और क्षति के लिए रेलवे प्रशासन का दायित्व' है, में अप्रिय दुर्घटनाओं के कारण ऐसी सीमा तक 'जैसा कि विहित हो सकता है' देय प्रतिकर के लिए रेलवे प्रशासन पर दायित्व अनुध्यात है । **राठी मेनन** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या प्रतिकर की दर बढ़ाने वाले संशोधन का फायदा उन दुर्घटनाओं तक विस्तारित किया जा सकता है जो संशोधन के प्रर्वतन में आने के पूर्व घटित हुई हैं । न्यायालय ने अधिनियम, 1989 के स्कीम का निर्धारण किया और यह अभिनिर्धारित किया कि देय प्रतिकर का अवधारण करने के लिए सुसंगत तारीख, न्यायनिर्णयन की तारीख होगी । परिणामत:, प्रतिकर बढ़ाने वाले संशोधन का फायदा उन दुर्घटनाओं तक विस्तारित होगा जो संशोधन के प्रर्वतन में आने के पूर्व घटित हुई हैं । निर्णय के दौरान, इस न्यायालय ने अधिनियम, 1923 और अधिनियम, 1989 के स्कीम के बीच विभेद किया और **प्रताप नारायण सिंह** (उपर्युक्त) और **वालसाला** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर उद्धृत दलील को निम्नलिखित निबंधनों में अग्रेसित किया :-

> "... कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन उपबंधों की स्कीम, रेलवे अधिनियम, 1989 के अध्याय XIII में उपदर्शित स्कीम से तात्विक रूप से भिन्न है । पूर्ववर्ती में, देय प्रतिकर स्वयं अधिनियम में निगमित उसकी अनुसूची के माध्यम से नियत है । कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 4 से यह दर्शित होता है कि ऐसा प्रतिकर, संबंधित कर्मकार की मासिक मजदूरियों से जुड़ा हुआ है । इसमें यह भी उपबंधित है कि नियोजक पर प्रतिकर संदाय करने का दायित्व न केवल तब उद्भूत होता है जब आयुक्त आदेश पारित करता है, अपितु स्वयं क्षति कारित होने की तारीख

[1] (2001) 3 एस. सी. सी. 714.

से ही उद्भूत हो जाता है । कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 4क में यह भी उपबंध किया गया है कि जहां कोई नियोजक एक माह के भीतर शोध्य प्रतिकर का संदाय करने में असफल रहता है वहां आयुक्त यह निदेश देगा कि नियोजक न केवल ब्याज का संदाय करेगा अपितु समुचित मामलों में, देय रकम पर 50 प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा । उक्त स्कीम की तुलना रेलवे अधिनियम, 1989 के अध्याय XIII में अंतर्वलित स्कीम से नहीं की जा सकती है क्योंकि उनमें अंतर्वलित सिद्धांत भिन्न-भिन्न हैं ।"

अधिनियम, 1923 और अधिनियम, 1898 के स्कीमों में विभेद करते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि **प्रताप नारायण सिंह** (उपर्युक्त) और **वालसाला** (उपर्युक्त) वाले मामलों के निर्णयों के अधिनियम, 1989 के अधीन कोई दावा नहीं बनता है ।

30. नवीनतम मामले **भारत संघ** बनाम **रीना देवी**[1] में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों के न्यायपीठ ने अधिनियम, 1989 के अधीन प्रतिकर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख के संबंध में, **राठी मेनन और कालिंदी चरण साहु** बनाम **महाप्रबंधक, दक्षिण-पूर्व केन्द्रीय रेलवे, विलासपुर (कालिंदी)**[2] वाले मामलों के निर्णयों के बीच प्रकट विरोधाभास पर विचार किया । यह दलील दी गई कि **राठी मेनन** (उपर्युक्त) वाला निर्णय, इस वाक्य पर आधारित था कि अधिनियम, 1989 के अधीन ब्याज का संदाय करने के लिए कोई उपबंध नहीं था और यह अन्यायपूर्ण होता यदि दुर्घटना के समय पर अभिभावी धन मूल्य पर प्रतिकर संदत्त किया जाता । यह इस पर आधारित था कि **प्रताप नारायण सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले के निर्णय से विभेदनीय है । इस न्यायालय ने यह उल्लिखित किया कि **थझाते पुराइल साराबी** बनाम **भारत संघ (थझाते)**[3] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम, 1989 के अधीन दावेदार उस ब्याज का संदाय पाने का

---

[1] (2019) 3 एस. सी. सी. 572.

[2] (2019) 12 एस. सी. सी. 387.

[3] (2009) 7 एस. सी. सी. 372.

भी हकदार है जो दुर्घटना की तारीख से उद्भूत होता है । **थझाते** (उपर्युक्त) वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का, पश्चात्वर्ती **कालिंदी** (उपर्युक्त) और **मोहमदी** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामलों में, इस न्यायालय द्वारा अनुसरण किया गया । परिणामतः, इस न्यायालय ने यह अभनिर्धारित किया कि चूंकि अब ब्याज, अधिनियम, 1989 के अधीन देय है, इसलिए **राठी मेनन** (उपर्युक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय का आधार परिवर्तित हो गया है । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि :-

> "15.3 .... हमारा यह मत है कि वर्तमान संदर्भ में यह विधि अपनाई जानी चाहिए कि दायित्व, दुर्घटना की तारीख पर उद्भूत होगा और प्रतिकर रकम उस तारीख पर देय लागू होगा जो खंडनीय होने की कोटि में आएगा, किन्तु दावेदार दुर्घटना की तारीख से प्रतिकर संदाय करने की तारीख तक का ब्याज पाने का हकदार होगा, ऐसी दर से जैसा कि समय-समय पर ठीक और ऋजु समझा जाए । इस सदंर्भ में, मोटर दुर्घटना दावा मामलों में लागू ब्याज की दर को युक्तियुक्त और ऋजु अभिनिर्धारित किया जा सकता था । <u>जब एक बार ब्याज की अवधारणा अंत:स्थापित कर दी जाती है तो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के सिद्धांत निश्चित तौर पर लागू होंगे और प्रताप नारायण सिंह देव (उपर्युक्त) वाले मामले में चार न्यायाधीशों के न्यायपीठ का निर्णय पूर्णतया लागू होगा ।</u> जब कभी यह पाया जाता है कि अधिकरण के अधिनिर्णय की तारीख पर लागू प्रतिकर की पुनरीक्षित रकम दुर्घटना की तारीख पर विहित प्रतिकर की रकम से कम है तो ब्याज सहित दोनों रकमों में उच्चतर रकम को फायदाग्राही विधान के सिद्धांत पर अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए .... ।
>
> 15.4 तद्नुसार, हमारा यह निष्कर्ष है कि प्रतिकर, ब्याज सहित दुर्घटना की तारीख पर लागू देय होगा जैसा कि दुर्घटना दावा मामलों में उसी तरीके पर समय-समय से युक्तियुक्त रूप में विचार

---

[1] (2019) 12 एस. सी. सी. 389.

> किया जाता है । यदि इस प्रकार संगणित रकम, अधिकरण के अधिनिर्णय की तारीख पर विहित रकम से कम है, तो दावेदार दोनों रकमों में से उच्चतर रकम पाने का हकदार होगा ..... । प्रताप नारायण सिंह देव (उपर्युक्त) वाले मामले में चार न्यायाधीशों के न्यायपीठ का निर्णय, इस विषय पर कायम रखा जाता है और वर्तमान परिस्थितियों में यह सभी प्रकार से लागू होता है ।"
>
> (रेखांकन जोर देने के लिए किया गया है)

इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम, 1989 के अधीन प्रतिकर, देय ब्याज सहित दुर्घटना की तारीख के संदर्भ में संगणित किया जाएगा । तथापि, यदि संगणित रकम, अधिनियम, 1989 के अधीन अधिकरण के अधिनिर्णय की तारीख पर विहित रकम से कम है तो दावेदार दोनों रकमों में से उच्चतर रकम को पाने का हकदार होगा ।

31. **राठी मेनन** (उपर्युक्त) और **रीना देवी** (उपर्युक्त) वाले दोनों मामलों में निर्णय इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों के न्यायपीठ द्वारा दिया गया था । **रीना देवी** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय ने **राठी मेनन** (उपर्युक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय में अनुसरित विधि की प्रास्थिति में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, **राठी मेनन** (उपर्युक्त) और **कालिंदी** (उपर्युक्त) वाले मामलों के बीच प्रकट विरोधाभास को हल किया था । इस प्रकार, अधिनियम, 1989 के अधीन विधि की प्रास्थिति, **प्रताप नारायण सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय के निर्णय के अत्यधिक नजदीक है जिसमें यह अभिनिर्धारित हुआ था कि प्रतिकर का अवधारण करने के लिए सुसंगत तारीख, दुर्घटना की तारीख होगी । **रीना देवी** (उपर्युक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण, इस न्यायालय द्वारा नवीनतम **भारत संघ** बनाम **राधा यादव**[1] वाले मामले में किया गया है ।

32. यह उल्लिखित करना उपयुक्त है कि देय प्रतिकर की उच्चतर रकम का अवधारण करने के लिए विधि की एक समान प्रास्थिति को

---

[1] (2019) 3 एस. सी. सी. 410.

अधिनियम, 1923 के अधीन इस न्यायालय द्वारा **प्रताप नारायण सिंह** (उपर्युक्त) और **वालसाला** (उपर्युक्त) वाले मामले में, अंगीकार नहीं किया गया था । यह न्यायालय, दो न्यायाधीशों के न्यायपीठ होने के नाते **प्रताप नारायण सिंह** (उपर्युक्त) और **वालसाला** (उपर्युक्त) वाले मामलों में अधिकथित विधि की सुस्पष्ट प्रास्थिति से आबद्ध हैं क्योंकि दोनों निर्णय, इस न्यायालय के बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा दिया गया है । परिणामत:, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि देय प्रतिकर का अवधारण करने के लिए सुसंगत तारीख, दुर्घटना की तारीख है और 2009 के अधिनियम 45 का फायदा उन दुर्घटनाओं में लागू नहीं होगा जो इसके प्रवर्तन में आने के पूर्व घटित हुई हैं ।

33. वर्तमान मामले में, दुर्घटना, तारीख 31 जनवरी, 2008 अर्थात् 2009 के अधिनियम 45 के प्रवर्तन में आने के पूर्व घटित हुई थी । परिणामत:, उच्च न्यायालय, 2009 के अधिनियम 45 का फायदा जिसे वर्तमान मामले में, धारा 4 का स्पष्टीकरण II रद्द करता है, विस्तारित करने में त्रुटि कारित की है । उच्च न्यायालय को दुर्घटना की उस तारीख पर देय प्रतिकर को अवधारित करने की अपेक्षा थी जिस तारीख को मासिक मजदूरियों के रूप में समझी गई रु. 4,000/- की रकम लागू होती थी ।

34. यद्यपि, दुर्घटना, वर्ष 2008 में घटित हुई थी किन्तु अपील 12 वर्षों के पश्चात् विनिश्चित की गई है । हम, इस तथ्य को उल्लिखित करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण आदेश का अनुसरण करते हुए, नियोजक ने अभि. सा. 2 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया है और यह कथन किया है कि मृतक उसके स्थापन में लगभग 3 वर्षों से कार्य कर रहा था । नियोजक ने अपने साक्ष्य के दौरान प्रदर्श पी-5 को सम्यक् रूप से साबित किया है जो मासिक आय प्रमाणपत्र है जिसमें यह उपदर्शित है कि मृतक मासिक मजदूरियों के रूप में जिसमें भोजन संबंधी खर्चे भी सम्मिलित थे, रु. 3,200/- आहरित कर रहा था । महत्वपूर्ण तौर पर, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकर बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध प्रत्यर्थियों द्वारा कोई अपील फाइल नहीं की गई थी । मामले को

इस दृष्टि से देखते हुए, हम, उच्च न्यायालय द्वारा संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के अधीन पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, अधिनिर्णीत प्रतिकर के अधिनिर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं । उपर्युक्त उल्लिखित रूप से विधि का स्पष्टीकरण करते हुए, अपील खारिज की जाती है ।

35. निर्णय का निष्कर्ष निकालने के पूर्व, यह उल्लिखित करना आवश्यक होगा कि तारीख 14 अक्तूबर, 2019 और 18 नवम्बर, 2019 के कार्यालय रिपोर्ट में यह कथित किया गया है कि प्रत्यर्थियों पर नोटिस की तामीली पूर्ण हो गई है ।

36. अपीलार्थी को देय संपूर्ण प्रतिकर रकम रु. 8,46,120/- विनिश्चित किया जाता है जिस पर दुर्घटना की तारीख से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा । प्रतिकर संदाय करने का दायित्व, संयुक्त और पृथक् होगा । प्रतिकर, प्रथम और द्वितीय अपीलार्थियों को संयुक्त रूप से देय होगा और प्रत्यर्थियों द्वारा पृथक्त: देय होगा । प्रतिकर, आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति से दो माह की अवधि समाप्त होने के भीतर संदत्त किया जाएगा । खर्चों का कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

क.